CHHATTISGARH STATE RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY (CREDA)
(Dept. of Energy, Govt. of Chhattisgarh)
V.I.P. (Airport) Road, Near Energy Education Park, P.O. Deopuri, Raipur - 492 015 (C.G)
Tel.: 83700 09923 • **Email:** contact.creda@gov.in • **Website:** www.creda.co.in

CREDA

क्रमांक/क्रेडा/निविदा प्रकोष्ठ/ 1239 रायपुर, दिनांक : [1]1 MAY 202

—::: आदेश :::—

निविदा के संबंध में पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए क्रेडा से संबंधित समस्त कार्यो (सौर सुजला योजना, सौभाग्य योजना, डी.डी.जी. सोलर ड्यूल पम्प, सोलर आर.ओ., सोलर हाईमास्ट, सौर सामुदायिक जल प्रदाय योजना, O&M आदि) से संबंधित आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के लिए निविदा प्रकोष्ठ का पुर्नगठन किया जाता है। निविदा प्रकोष्ठ में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को पदस्थ किया जाता है :—

1. श्री आर.एस. भाकुनी, अधीक्षण अभियंता	—	संयोजक
2. श्री बी.बी. तिवारी, अधीक्षण अभियंता	—	सदस्य
3. श्री अनिल कापरे, नियंत्रक वित्त एवं लेखा	—	सदस्य
4. श्री जे.एन. बैगा, कार्यपालन अभियंता	—	सदस्य
5. श्री के.एन. पुरेना, सहायक अभियंता	—	सदस्य
6. श्री आकाश शर्मा, सहायक अभियंता	—	सदस्य
7. श्री शिवप्रसाद चांगती, कनिष्ठ सहायक	—	—

यह निविदा प्रकोष्ठ श्री आर.एस. भाकुनी, अधीक्षण अभियंता के निर्देशन में कार्य करेगा। सरल क्रमांक 01 से 05 तक निर्दिष्ट अधिकारी अपने वर्तमान दायित्वों के साथ ही निविदा प्रकोष्ठ के दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।

निविदा प्रकोष्ठ के द्वारा निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :—

i. आमंत्रित किये जाने वाली निविदाओं से संबंधित कार्य के स्पेशिफिकेशन्स, डिजाईन, ड्राईंग एवं बी.ओ.क्यू. की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी संबंधित कक्ष के मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता तैयार कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से निविदा प्रकोष्ठ को प्रेषित करेंगे।

ii. निविदा प्रकोष्ठ में बी.ओ.क्यू. सह अन्य दस्तावेज प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर एन.आई.टी. जारी कर निविदा की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

iii. प्राप्त निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जावेगा :—

1. अधीक्षण अभियंता (निविदा प्रकोष्ठ)	—	संयोजक
2. अधीक्षण अभियंता (निविदा प्रकोष्ठ)	—	सदस्य
3. संबंधित तकनीकी कक्ष के अधीक्षण/कार्यपालन अंभियंता (RE-2/3/4/5)	—	सदस्य
4. कार्यपालन अभियंता (निविदा प्रकोष्ठ)	—	सदस्य
5. नियंत्रक वित्त एवं लेखा	—	सदस्य
6. सहायक अभियंता द्वय (निविदा प्रकोष्ठ)	—	सदस्य

iv. तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा अंर्हता प्राप्त निविदाओं का वित्तीय मूल्यांकन निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जावेगा—

1. अधीक्षण अभियंता (निविदा प्रकोष्ठ)	—	संयोजक
2. अधीक्षण अभियंता (निविदा प्रकोष्ठ)	—	सदस्य
3. संबंधित तकनीकी कक्ष के अधीक्षण/कार्यपालन अंभियंता (RE-2/3/4/5)	—	सदस्य
4. कार्यपालन अभियंता (निविदा प्रकोष्ठ)	—	सदस्य
5. नियंत्रक वित्त एवं लेखा	—	सदस्य
6. सहायक अभियंता द्वय (निविदा प्रकोष्ठ)	—	सदस्य

क्रमशः.......2

v. वित्तीय मूल्यांकन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।
vi. इकाई चयन एवं दरों के अनुमोदन होने के पश्चात् संबंधित कक्ष प्रमुख अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही 10 दिवस के भीतर करेंगे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

01/05/2023

(राजेश सिंह राणा)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ. क्रमांक/क्रेडा/निविदा प्रकोष्ठ/ 1240 रायपुर, दिनांक : 1 MAY 20

प्रतिलिपि :

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. निज सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता (आर.ई.-2/3/4/5) क्रेडा प्रधान कार्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. नियंत्रक, वित्त एवं लेखा, क्रेडा प्रधान कार्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. समस्त अधीक्षण अभियंता, क्रेडा जोनल कार्यालय, को सूचनार्थ।
6. समस्त कार्यपालन अभियंता, क्रेडा क्षेत्रीय कार्यालय को सूचनार्थ।
7. समस्त जिला प्रभारी, क्रेडा जिला कार्यालय को सूचनार्थ।
8. निविदा प्रकोष्ठ के समस्त सदस्यगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. गार्ड फाईल।

01/05/2023

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
क्रेडा, रायपुर